न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय मूसाखेडा)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

प्रार्थना पत्र सं.	**प्रवेश तिथि**	**निर्णय तिथि**
77 / 19	23.9.21	24.11.21

1. अली मोहम्मद उर्फ वली मोहम्मद पुत्र ईसब जाति मेव निवासी न्याणा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 :–प्रार्थी:–

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– **अप्रार्थी**:–

प्रार्थना पत्र जैर दफा 136 राजस्थान
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती किये जाने जाति

:– निर्णय :–

प्रार्थना पत्र आज प्रशासन गांवो के संग अभियान मे पेश हुआ । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर ख0न0 28, 865, 887/1441, 1330, 1265, 619 में जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी है।

प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है। तथा कानून के ज्ञान का अभाव है मेव जाति से है ग्रामीण परिवेश मे तथा मेव जाति में एक आदमी के दो नाम होते थे। इसलिए अलीमोहम्मद व वलीमोहम्मद पुत्र ईसब जाति मेव निवासी न्याणा तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0 एक ही आदमी है तथा जिमन नं0 1 मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की शेष आराजी ख0न0 427, 430, 468 आदि में प्रार्थी का नाम अलीमोहम्मद है तथा वोटर पहचान पत्र राशन कार्ड आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम अली मोहम्मद ही है।

प्रार्थी पेशे से मजदूर किसान है जो कि आधार कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम अली मोहम्मद है जबकि विवादित आरजी में प्रार्थी का नाम वलीमोहम्मद होने के कारण किसान कार्ड आदि बनवाने मे बैक से परेशानी आ रही है। इस लिए प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त कराने के अधिकारी है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबंदी फॉटो प्रति राशनकार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड पेश किया है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त कराने को कहा तो अप्रार्थी ने अदालत से आदेश लाने को कहा जो प्रार्थी की विनाय मुखासमत बिनायदावी पैदा हुई है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्य अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 28, 865, 887/1441, 1330, 1265, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वलीमोहम्मद के स्थान पर अलीमोहम्मद दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नही।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान–21 में ग्राम पंचायत मुख्यालय माहोन्द पर पेश हुई। तहसीलदार किशनगढबास से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें प्रार्थी का सही नाम अलीमोहम्मद किया जाने की अभिशंषा की है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में सलग्न दस्तावेजात वो तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम वलीमोहम्मद के स्थान पर अलीमोहम्मद किया जाना उचित होगा ।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि आराजी ख0न0 28, 865, 887 / 1441, 1330, 1265, वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास में प्रार्थी का नाम वलीमोहम्मद दर्ज हो रहा है उसके स्थान पर अलीमोहम्मद किया जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

नोट:– निर्णय दिनांक 24-11-21 में ख0नं0 1097, 619 व खाता नं 45, 330 सहवन से अंकन करने से छूट गया। निर्णय में अन्य ख0नं0 के साथ इनको भी शामिल माना जावे।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)